न्यायालय सिविल जज,(जू०डि०), खलीलाबाद,स्थान–बस्ती

मूलवाद संख्या–813/1986

सूर्यानरायण प्रति भग्गू

दिनाँक 15.09.2016

प्रार्थना पत्र 158 ग 2 प्रतिवादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनाँक 27.05.2016 पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत थी। प्रतिवादी जब वकील साहब को बुलाने चला गया। इस दौरान साक्ष्य प्रतिवादी अवसर समाप्त कर दिया गया। अतः प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनाँकित 27.05.2016 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर दिये जाने की याचना की गई है। प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र कागज संख्या 159 ग 2 दाखिल किया गया है। वादी द्वारा आपत्ति कागज संख्या 161 ग 2 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना किया है। वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद में दिनाँक 16.02.2016 से पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में लम्बित है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया, जिसके कारण दिनाँक 27.05.2016 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनाँकित 27.05.2016 को प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया था।

विधि की यही मंशा है कि किसी मामले को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिये उक्षय पक्ष को पर्याप्त सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को न्यायहित में साक्ष्य का एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा। जहाँ तक प्रतिवादी के कृत्य से मामले की कार्यवाही विलम्बित होने का प्रश्न है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 158 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 158 ग 2 मु० 4,00/– रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अगली नियत तिथि पर हर्जा न अदा करने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनाँक 30.09.2016 को पेश हो।

सिविल जज,(जू०डि०)

खलीलाबाद,स्थान–बस्ती